भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 744
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा

744. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री संजय दीना पाटिल:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयुष्मान भारत पंजीकरण और इसके दावों में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए समर्पित केंद्र/सहायता कर्मी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) महाराष्ट्र राज्य में आयुष्मान भारत योजना में नामांकित कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा इस संबंध में इन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या आयुष्मान भारत में सामान्य आयु संबंधी उपचार/बीमारियां जैसे असाध्य बीमारी, जोड़ प्रतिस्थापन और हृदय संबंधी देखभाल शामिल हैं जो आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या वरिष्ठ नागरिकों को असमान रूप से प्रभावित करने वाली आयु-विशिष्ट चिकित्सा स्थितियों के लिए कवरेज का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के बीच आयुष्मान भारत के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त हो, क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों का नामांकन आवेदन-आधारित है, जिससे लाभार्थी अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कीम में नामांकन के लिए आवेदन के विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, जिनमें मोबाइल फोन एप्लीकेशन (आयुष्मान ऐप) और वेब पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) शामिल हैं। उपर्युक्त एप्लीकेशन में स्व-पंजीकरण की सुविधा भी

उपलब्ध है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर 1800-110-770 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर (14555) 24x7 उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थी इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) तैनात किए गए हैं, जो लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने और उपचार करने वाले डॉक्टरों/देखभाल करने वालों के साथ संपर्क करके शीघ्र उपचार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। लाभार्थियों के लिए संपर्क के पहले स्तर के रूप में इन अस्पतालों में समान कियोस्क भी स्थापित किए गए हैं, जो जागरूकता, कार्ड बनाने में सहायता और उपचार तक पहुँचने में सहायता प्रदान करते हैं।

(ख): दिनांक 25.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार स्कीम के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के लिए महाराष्ट्र राज्य में 2,302 कार्ड सहित लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर में, इस स्कीम के अंतर्गत सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि सहित 27 चिकित्सा विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है, जिसका लाभ विभिन्न आयु समूहों द्वारा उठाया जा सकता है। इनमें हेमोडायलिसिस / पेरिटोनियल डायलिसिस, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, त्वरित उच्च रक्तचाप, कुल हिप रिप्लेसमेंट, कुल घुटने रिप्लेसमेंट, पीटीसीए, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम, सिंगल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन, डबल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन आदि जैसी उपचार सेवाएँ पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को स्थानीय संदर्भ के अनुसार स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को और अधिक अनुकूलित करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(ङ): वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के रूप में एक अलग आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के बीच आयुष्मान वय वंदना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यकलाप संचालित किए गए हैं, जिनमें कई रेडियो और टेलीविज़न अभियान, सोशल मीडिया अभियान, प्रिंट मीडिया विज्ञापन, रेडियो और टेलीविज़न साक्षात्कार, विज्ञापन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने राज्यों को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक आईईसी कार्यकलाप शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं।

यह स्कीम अपने लाभार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करती है। इसके लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सार्वजनिक, निजी और कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सूचीबद्ध अस्पतालों को मान्यता के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रवेश स्तर एनएबीएच मान्यता वाले अस्पतालों को 10% प्रोत्साहन और एनएबीएच पूर्ण मान्यता के लिए 15% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। जो अस्पताल स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें भी एवबीपी पैकेज्ड मास्टर दरों के आधार दर के अतिरिक्त 10% की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है।

*****